झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कार्यालय आदेश सं0:– 13 /राँची, दिनांक– 26.11.13

कार्यालय आदेश

भारत सरकार एवं विश्व बैंक के तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से झारखण्ड में लागू होने ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं विश्व बैंक के निर्देशानसार उक्त परियोजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) का गठन किया जाना है। दिनांक 03.10.2013 को प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में लिए गये निर्णय तथा विभागीय संकल्प सं0– SWSM/WB/Cabinet Note-63/13 Part-232 दिनांक 19.10.2013 के आलोक में SPMU का गठन निम्न प्रकार किया जाता है–

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार

क्र0सं0	पद	वेतनमान	अस्थायी पदों की सं0	अभियुक्ति
1	निदेशक	कैडर के अनुसार	1	AIS के सदस्य जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में JS/AS/SS रैंक से नीचे का न हो तथा जिनकी ग्रेड–पे ≥8900/- हो।
2	अधीक्षण अभियन्ता/ कार्यपालक अभियंता (विश्व बैंक)	–वही–	1	प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अधीक्षण अभियन्ता जिनका ग्रेड–पे 8700/-/ कार्यपालक अभियंता जिनका ग्रेड–पे 6600/- हो।
3	सहायक अभियंता (विश्व बैंक)	–वही–	1	प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक अभियन्ता जिनका ग्रेड–पे 5400/- हो।
4	उप निदेशक (वित्त)	–वही–	1	प्रतिनियुक्ति/अतिरिक्त प्रभार पर जो राज्य वित्त सेवा अथवा महालेखाकार, झारखण्ड का हो जिनका ग्रेड–पे 7600/- हो।

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई अन्तर्गत अनुबंध पर रखने वाले पद

क्र0 सं0	पद	वेतनमान /मानदेय	अस्थायी पदों की सं0	योग्यता
1	वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ	अनुबंध राशि	1	वित्त में डिग्री अथवा सी0ए0 वांछनीय साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव
2	मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण विशेषज्ञ	–वही–	1	प्रबंधन / ग्रामीण प्रबंधन / सूचना प्रौद्योगिकी अथवा संबंधित क्षेत्र में डिग्री साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव
3	अधिप्राप्ति विशेषज्ञ	–वही–	1	इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, अधिप्राप्ति, वित्त, बिजनेस या कॉमर्स में मास्टर डिग्री साथ ही संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव
4	सांख्यिक विशेषज्ञ	–वही–	1	प्रबंधन / वित्त / योजना एवं नीति में डिग्री साथ ही संबंधित क्षेत्र में 7 वर्ष का कार्यानुभव
5	सामाजिक विकास एवं संवाद विशेषज्ञ	–वही–	1	स्नातकोत्तर साथ ही संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव
6	पर्यावरण विशेषज्ञ	–वही–	1	सिविल / पर्यावरण इंजीनियरिंग अथवा पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर साथ ही संबंधित क्षेत्र में 10 वर्ष का कार्यानुभव
7	तकनीकी विशेषज्ञ	–वही–	1	वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग / सैनिटेशन इंजीनियरिंग अथवा संबंधित क्षेत्र में डिग्री साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव
8	लेखापाल	–वही–	1	एम0कॉम0 साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव
9	कार्यालय अधीक्षक सह मानव संसाधन प्रबंधक	–वही–	1	डिग्री / एम0बी0ए0 (मानव संसाधन) साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्यानुभव

क्र0 सं0	पद	वेतनमान / मानदेय	अस्थायी पदों की सं0	योग्यता
10	सहायक एम0आई0एस0 विशेषज्ञ सह डाटा इन्ट्री विशेषज्ञ	अनुबंध राशि	1	कम्प्यूटर साईस / इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा एम0बी0ए0 के साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव
11	आशुलिपिक सह निजी सहायक	अनुबंध राशि	1	डिग्री, आशुलिपिक का अनुभव वांछनीय
12	कनीय सहायक	–वही–	1	10+2 / इंटर साथ ही हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण की जानकारी
13	कार्यालय सहायक	–वही–	2	डिग्री साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव
		कुल	14	

परियोजनाधीन अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय एवं अन्य का भुगतान JSWSMS, भारत सरकार एवं विश्व बैंक के निर्देशानुसार किया जायेगा।

<u>SPMU के निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :–</u>

- विश्व बैंक सम्पोषित पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में JSWSMS एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना।
- विश्व बैंक तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समन्वय।
- परियोजनाधीन जिलों में क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में नियमित रूप से जिलों के साथ समन्वय एवं प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा ससमय JSWSMS, विश्व बैंक एवं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
- JSWSMS द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक SWSM/WB/Est-6-76/13 257 राँची/दिनांक 25.11.13

प्रतिलिपि :

1. माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।
1. मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुधीर प्रसाद)
सरकार के अपर मुख्य सचिव